तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2023	पत्रावली पेश हुई।	

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थिनी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1,3 व 6 के वकील उपस्थित।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

वकील प्रार्थिनी की बहस है कि मौजा पादरू अवस्थित खसरा संख्या 94, 201, 208 व 1971/200 कुल रकबा 217.03 बीघा भूमि में वक्त बन्दोबस्त प्रार्थिनी के पितामह का 1/2 हिस्सा था, जिनके फौत होने पर उनके दो पुत्रों–विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर अमलदरामद हुआ। जबकि प्रार्थिनी, विप्रार्थी संख्या 1 की जाइन्दा पुत्री होने एवं विवादित भूमि पुश्तैनी होने से अपने पिता के साथ हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हक रखती है। इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में है तथा अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिनी के ही पक्ष में है। यदि विप्राथी संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड मे अंकित प्रविष्टी के आधार पर उक्त भूमि का बेचान कर किसी अजनबी को बलपूर्वक काबिज करवा दिया, तो प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः ताफैसला मूलवाद विप्रार्थीगण को जरिये स्थगन पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि का बेचान अथवा अन्य विधि से हस्तांतरण नहीं करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी संख्या 1,3 व 6 की बहस है कि प्रार्थिनी विप्रार्थी संख्या 1 की जाइन्दा पुत्री अवश्य है, किन्तु विवादित भूमि के रिकार्ड मे न तो सहखातेदार है और न उसका कोई हक और कब्जाकाश्त है क्योंकि प्रार्थिनी को उसके विवाह के दौरान विवादित भूमि में निहित उसके हक के बदले उसे पर्याप्त धन राशि बतौर दहेज दे दी थी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–ये तीनों बिन्दु विप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हैं। प्रार्थिनी मनगढ़ंत दलीलों के बलपर स्थगन प्राप्त कर विप्रार्थी संख्या 1 के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादपत्र में अंकित वंश वृक्ष एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी मुतवफी सवाराम की पौती एवं विप्रार्थी संख्या 1 भूराराम की जाइन्दा पुत्री है और इस तथ्य पर दोनों पक्ष सहमत हैं। प्रार्थिनी जाति से पुरोहित होने से हिन्दु विधि से शासित है और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी आधार पर विवादित भूमि में उसका अपने पिता के साथ प्रथम दृष्टया हक होना पाया जाता है। यद्यपि पक्षकारान के हकों का अन्तिम रूप से निर्धारण वाद के निर्णय से ही संभव होगा, किन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थिनी के पक्ष में होना पाया जाता है। प्रार्थिनी चूंकि अपने पिता में ही हक मांगती है। अतः विप्रार्थी संख्या 1 के अतिरिक्त किसी अन्य विप्रार्थी को स्थगन के प्रावधानों से पाबन्द किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध ग्राम पादरू तहसील सिवाना की खसरा संख्या 94, 201, 208 व 1971/200 कुल रकबा 217.03 बीघा भूमि के संबंध में ताफैसला मूल वाद बेचान अथवा किसी अन्य विधि से हस्तांतरण नहीं करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:31:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना